FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0256 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 10/09/2026 16:28 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 03/08/2026 **Date To (दिनांक तक):** 04/08/2026

Time Period (समय अवधि): पहर 6 **Time From (समय से):** 19:15 बजे **Time To (समय तक):** 16:16 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 10/09/2026 **Time (समय):** 14:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 10/09/2026 16:28:28 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 450 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** TEHASIL PARISAR, GHATOL JILA BANSWARA

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** DHEERAJMAL BAMNIYA

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** MANGLIYA JI BAMNIYA

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1976 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	POST SENAWASA, SHANKARPURA/UDIPURA, GHATOL, BANSWARA, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	POST SENAWASA, SHANKARPURA/UDIPURA, GHATOL, BANSWARA, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	ABHISHEK VYAS		पिता: MAHESHCHANDRA VYAS	1. TRIPOLIYA ROAD,GHANTAGHAR MANCHADEVI MANDIR KE PASS,BANSWARA,BANSWARA,

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		10,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 10,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें, श्रीमान पुलिस उप अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बांसवाडा। विषयः-कानुनी कार्यवाही करवाने बाबत्। महोदय् उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मै धीरजमल पुत्र श्री मंगलीया जी बामनिया उम्र 50 वर्ष निवासी शंकरपूरा (उदपूरा) पो. सेनावासा त. घाटोल जिला बांसवाडा का रहने वाला हू ग्राम उदपूरा में मेरा खाता नं 90 खसरा नं 104,118,119,138,197,198,250,42 मै मेरा नाम धारजी अंकित है जिसमे नाम का शुद्धिकरण करवा मेरा नाम धीरजमल अंकित करवाने हेतु मेरे द्वारा पटवार हल्का सेनावासा में आवेदन किया गया था धारजी नाम के स्थान पर धीरजमल करने कि एवज में पटवार हल्का सेनावासा के पटवारी अभिषेक व्यास 15,000 रू हजार रूपये कि रिश्वत राशि कि मांग कर रहे है मै उन्हे रिश्वत राशि दूंगा तो हि वह मेरे नाम का शुद्धिकरण कर मोटेषन करेगें मै पटवारी को रिश्वत राशि नही देना चाहता हू रिश्वत लेते हुए पटवारी अभिषेक व्यास को पकडवाना चाहता हू मेरी पटवारी से कोई रंजीष नही है ना हि कोई लेन देन बाकी है। अतः कानुनी कारवाई कराना। दिनांकः- 03.08.2026 प्रार्थी सही/- धीरजमल बामनिया मोंनं कार्यवाही पुलिस ब्यूरो इकाई बांसवाडा दिनांक 03.08.2026 को समय 07.15 पीएम पर परिवादी श्री धीरजमल पुत्र श्री मंगलीया जी बामनिया उम्र 50 वर्ष निवासी शंकरपूरा (उदपुरा) पोस्ट सेनावासा तहसील घाटोल जिला बांसवाडा हमराह श्री पंकज बामनिया निवासी शंकरपुरा तहसील घाटोल जिला बांसवाडा ने उपस्थित होकर एक लिखित प्रार्थना पत्र इस आश्य का पेश किया कि ग्राम उदपुरा में मेरी कृषि भूमि खाता सं 90 के विभिन्न खसरो में स्थित है जिसमें मेरा नाम धारजी रिकॉर्ड में अंकित है रिकॉर्ड में धारजी के स्थान पर धीरजमल शुद्धिकरण करवाने के बदले में श्री अभिषेक व्यास पटवारी पटवार हल्का सेनावासा तह. घाटोल जिला बांसवाडा 15,000/- रूपये की रिश्वत की मांग कर रहा है मै पटवारी को रिश्वत नही देना चाहता हुं रिश्वत लेते हुए पकडवाना चाहता हुं कार्यवाही करावें।"श्री पंकज बामनिया ने दरियाफ्त पर बताया की श्री अभिषेक पटवारी लंबे समय से पटवार हल्का सेनावासा पर ड्यूटी पर रहा है। बिना रूपये लिए किसी का काम नही करता है। पटवारी बहुत चालाक व होशियार है जब भी मांग करता है तुरन्त रूपये ले लेता है। अभी पटवारी का स्थानान्तरण सेनावासा से अन्यत्र हो गया है फिर भी रिलिव नही हो रहा है। पटवार हल्का सेनावासा के लोगो से रिश्वत लेकर काम करता है। उक्त रिपोर्ट व दरियाफ्त वार्ता से मामला रिश्वत राशि की मांग का पाया जाने से आईन्दा संदिग्ध आरोपी से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करवायी जाकर अग्रीम कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। दिनांक 04.08.2026 समय 10.00 एएम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा कार्यालय में उपस्थित श्री पंकज कुमार कानि नं 551 को कार्यालय की अलमारी से डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय नया रिक्त मेमोरी कार्ड (ईवीएम माइक्रो एसडी एचसी 8 जीबी बरंग काला) मंगवाकर डिजिटल टेप रिकॉर्डर में नया मेमोरी कार्ड लगाया जाकर डिजिटल टेप रिकॉर्डर को चालू कर अवलोकन किया गया तो डिजिटल टेप रिकॉर्डर व उसमें लगाया गया मेमोरी कार्ड खाली (रिक्त) होना पाया गया। श्री पंकज कानि को परिवादी के मोबाईल नम्बर उपलब्ध करवा कर परिवादी से वार्ता कर बताए गए स्थान पर पहुंचकर रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही हेतु निर्देशित कर ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय नया रिक्त मेमोरी कार्ड लगा हुआ सुपूर्द कर समय 10.30 एएम पर श्री पंकज कुमार कानि को निजी मोटरसाईकल से कस्बा सेनावासा के लिए मुनासिब हिदायत कर रवाना किया गया। समय 12.26 पीएम पर कानि श्री पंकज कुमार द्वारा मन् पुलिस उप अधीक्षक को जरिये

दूरभाष अवगत करवाया कि परिवादी से पटवारी श्री अभिषेक व्यास की रिश्वत मांग सम्बन्धित वार्ता हो गई है। वार्ता में पटवारी द्वारा 10 हजार रूपये रिश्वत लेने की सहमति दी गई है। उक्त वार्ता परिवादी द्वारा ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया है। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा कानि को परिवादी व सहपरिवादी पंकज बामनीया को हमराह रिश्वत में दी जाने वाली रिश्वती राशि की व्यवस्था कर ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आने हेतु मुनासिब हिदायत की गई। समय 01.00 पीएम पर परिवादी श्री धीरजमल, सहपरिवादी श्री पंकज बामनीया एवं कानि श्री पंकज कुमार अपनी-अपनी निजी मोटरसाईकल से ब्यूरो इकाई पर उपस्थित आये। कानि. ने ब्यूरो डिजीटल टेप रिकोर्डर मय मेमोरी कार्ड लगा हुआ बंद हालात में सुपूर्द किया, जिसे मन् पुलिस उप अधीक्षक ने सुरक्षित अपने पास रखा गया। तत्पश्चात कानि. ने बताया कि "आपके निर्देशानुसार मैं ब्यूरो इकाई से रवाना होकर कस्बा सेनावासा से पहले गांव उदपुरा के आसपास पहूंचकर परिवादी को जरिये दूरभाष सम्पर्क करने पर परिवादी ने गांव उदपुरा स्थित सहपरिवादी श्री पंकज बामनीया के घर पर मिलने हेतु बुलाया गया। जिस पर गांव उदपुरा मैं सहपरिवादी पंकज बामनीया के घर पर पहूंचा, जहां सहपरिवादी एवं परिवादी उपस्थित मिले। तत्पश्चात मन् कानि द्वारा परिवादी एवं सहपरिवादी को ब्यूरो की ट्रेप कार्यवाही के संबध में समझाईश की जाकर डिजीटल टेप रिकोर्डर के संचालन व रखारखाव के बारे में समझाईश की गई। तत्पश्चात परिवादी ने बताया कि अभी थोडी देर पहले पटवारी साहब का मेरे मोबाईल पर व्हाट्सअप कॉल आया था और मुझे पटवार मण्डल सेनावासा पर बुलाया गया है। जिस पर मेरे द्वारा परिवादी व सहपरिवादी को अग्रिम रिश्वत मांग सत्यापन हेतु कहा तो सहपरिवादी ने बताया कि मुझे पटवार मण्डल पर सब जानते है और पटवारी मेरे सामने रिश्वत संबधी वार्तालाप नही करेगें, मैं मांग सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण होने के बाद एसीबी ऑफिस बांसवाडा उपस्थित हो जाउंगा। तत्पश्चात परिवादी व मैं मय डिजीटल टेप रिकोर्डर मेमोरी कार्ड लगा हुआ मेरी निजी मोटरसाईकल से पटवार मण्डल सेनावासा के लिये रवाना हुए। कस्बा सेनावासा के आसपास पहूंच कर मोटरसाईकल को रोड़ के साईड में खडाकर समय करीब 11.56 एएम पर परिवादी को ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकोर्डर चालु हालत में सुपूर्द कर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु मेरी निजी मोटरसाईकल से रवाना किया गया, मैं अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के इन्तजार में मुकिम रहा। कुछ समय पश्चात् परिवादी पटवार मण्डल सेनावासा से मेरे पास आया और ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकोर्डर चालु हालत में सुपूर्द किया जिसे बंद कर सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात परिवादी ने बताया कि मेरी पटवारी साहब अभिषेक व्यास से रिश्वत मांग संबधी वार्ता हो गयी है जिसे मैने डिजीटल टेप रिकोर्डर में रिकोर्ड कर लिया है। तत्पश्चात मन् कानि द्वारा ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकोर्डर चालुकर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के मुख्यअंशः सुने गये तो पटवारी अभिषेक व्यास द्वारा परिवादी के कृषि भुमि के खाते मे नाम का शुद्धिकरण करने के एवज में 15 हजार रुपये की मांग की परन्तु परिवादी द्वारा हाथाजोडी करने पर पटवारी द्वारा 10 हजार रुपये रिश्वत राशि लेने की सहमति दी गई।"बाद सत्यापन कार्यवाही परिवादी ने सहपरिवादी पंकज को कॉल कर एसीबी कार्यालय बांसवाडा पहुचने हेतु कहा था। परिवादी द्वारा कानि. के कथनों की ताईद करते हुए बताया कि टेप रिकोर्डर चालु हालत में लेकर पटवार मण्डल सेनावासा पहूंचा जहां एक कक्ष में पटवारी साहब व अन्य व्यक्ति बैठे हुए थे जो पटवारी साहब से वार्ता कर रहे थे कुछ देर बाद पटवारी साहब मुझे पटवार मण्डल के कक्ष से बाहर लेकर आये व मेरे ग्राम उदपुरा मे खाता नं 90 के खसरो में नाम का शुद्धिकरण करने के लिये पहले तो 15 हजार रुपये रिश्वत की मांग की गई मेरे हाथाजोडी करने पर पटवारी साहब 10 हजार रुपये रिश्वत राशि लेने हेतु सहमत हुए और अभी कितने लाया है मुझे पुछा तो मैने बताया कि अभी तो कुछ नही लाया हूं घर पर पांच हजार रुपये रखे है बाकि के व्यवस्था करके लाता हूं जिस पर पटवारी साहब द्वारा ईमित्र संचालक सुनिल को पांच हजार रुपये देने के लिये और शेष रिश्वत राशि पांच हजार रुपये लेकर तहसील कार्यालय साथ चलने का कहा गया। पटवारी साहब द्वारा आज ही रिश्वत राशि 10 हजार रुपये लाने का कह रहे है अगर आज रिश्वत राशि 10 हजार रुपये नही दिये तो नाम का शुद्धिकरण नही होगा कह रहे है। तत्पश्चात परिवादी

द्वारा बताये गये तथ्यों की ताईद हेतु ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकोर्डर चालु कर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के मुख्यअंशः सुने गये तो पटवारी श्री अभिषेक व्यास द्वारा परिवादी के नाम का शुद्धिकरण करने की एवज में 10 हजार रुपये रिश्वत राशि की मांग करने की पुष्टि हुई है। मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि 10 हजार रुपये की व्यवस्था के संबध में पुछा तो परिवादी ने बताया कि 10 हजार रुपये की व्यवस्था कर साथ में लाया हुं अवगत् कराया गया। परिवादी को सुरक्षित कार्यालय कक्ष में बैठाया गया तथा ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकॉर्डर मेमोरी कार्ड लगा हुआ अपने पास सुरक्षित रखा गया। समय 01.30 पीएम पर अग्रिम कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाह की आवश्यकता होने से अधीक्षण अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग बांसवाडा के नाम कार्यालय के पत्रांक 806 दिनांक 04.08.2026 के द्वारा विशेष वाहक के साथ कार्यालय उपस्थित आने हेतु तहरिर जारी कर जितेन्द्र सिंह चालक कानि 657 को आवश्यक हिदायत कर रवाना किया गया। जो समय करीब 01.35 पीएम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान को हमराह लेकर उपस्थित आकर ब्यूरो कार्यालय की तहरिर मन् पुलिस उप अधीक्षक को पेश कि जिसका अवलोकन किया गया तो अधीक्षण अभियंता द्वारा मूल ही तहरिर पर दोनो गवाहान का नाम मय पदनाम व मोबाईल नं अंकित कर मय हस्ताक्षर किए है। उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान का मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा अपना परिचय देते हुए उनका परिचय पूछा तो उन्होने अपना नाम निखिल यादव पुत्र श्री लक्ष्मण लाल यादव उम्र 31 वर्ष जाति यादव निवासी विनोद टॉकिज के पीछे जिला बांसवाडा हाल वरिष्ठ सहायक सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड बांसवाडा एवं राजमल चरपोटा पुत्र श्री गोतिया चरपोटा उम्र 36 वर्ष जाति भील निवासी बारीसिया तलाई ग्राम पंचायत बडवी जिला बांसवाडा हाल कनिष्ठ सहायक सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड बांसवाडा होना बताया मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दोनो गवाहान से प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही मे बतौर स्वतन्त्र गवाहान उपस्थित रहने बाबत् सहमति चाही गई जिस पर दोनो गवाहान ने अपनी-अपनी मौखिक सहमति व्यक्त की। दोनों गवाहों को कार्यालय कक्ष में सुरक्षित बिठाया गया। समय 02.00 पीएम पर कार्यालय में बैठे हुए दोनो स्वतन्त्र गवाहान का परिवादी श्री धीरजमल बामनिया व सहपरिवादी श्री पंकज बामनिया का आपस में परिचय करवाया गया तथा परिवादी की रिपोर्ट दिनांक 03.08.2026 को दोनो गवाहान के समक्ष पढ़कर सुनाई गई तो परिवादी ने शब्द-ब-शब्द सही होना मान रिपोर्ट स्वयं की हस्तलिपी में होकर स्वयं के हस्ताक्षर अंकित होना जाहिर किया। उक्त रिपोर्ट पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता का रिकॉर्ड शुदा डिजिटल टेप रिकॉर्डर मेमोरी कार्ड लगा हुआ अपने पास सुरक्षित रखा था जिस पर डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को चालु कर रिकॉर्ड वार्ता के मुख्य-मुख्य अंश को गवाहो व सहपरिवादी को भी सुनाया गया तो गवाहान व सहपरिवादी ने भी आरोपी द्वारा रिश्वत राशि मांग की पुष्टि की। रिश्वत मांग सत्यापन वार्तानुसार आरोपी पटवारी द्वारा परिवादी से आज दिनांक 04.08.2026 को ही रिश्वत राशि की मांग कर 1 घण्टे में देने हेतु कहा गया है। रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान हुई वार्ता की फर्द ट्रासक्रिप्ट तैयार करने में समय लगने से अकब से मूर्तिब की जावेगी। समय 02.30 पीएमप र मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दोनो गवाहान व सहपरिवादी श्री पंकज बामनिया के समक्ष आरोपी श्री अभिषेक व्यास पटवारी को दी जाने वाली रिश्वती राशि पेश करने हेतु परिवादी श्री धीरजमल बामनिया को कहां तो परिवादी ने अपने पास से 500-500 रूपये के 20 नोट कुल 10,000/- रूपये भारतीय चलन मुद्रा के पेश किये। उपरोक्त नोटो के नम्बर को फर्द में अंकित कर फर्द मूर्तिब की गई। श्री जितेन्द्र सिंह चालक कानि से कार्यालय कक्ष की अलमारी में रखी फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को मंगवाया जाकर परिवादी श्री धीरजमल बामनिया द्वारा पेश किये गये उक्त समस्त नोटो पर कार्यालय की टेबल पर अखबार बिछाकर अखबार पर उपरोक्त समस्त भारतीय चलन मुद्रा के नोटो के दोनो ओर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री धीरजमल बामनिया की जामा तलाशी गवाह श्री निखिल यादव से लिवाई गई। जिस में परिवादी के पास एक मोबाईल फोन के अलावा कुछ नही मिला जिसे परिवादी को सुपुर्द किया गया। श्री जितेन्द्र सिंह चालक कानि से उपरोक्त नोटो को परिवादी श्री धीरजमल

बामनिया के पहनी हुई पेन्ट के साईड की बाए जैब में कोई शैः नहीं छोडते हुए रखवाये गये। तत्पश्चात् श्री दिनेश कुमार सउनि से ट्रेप बॉक्स में रखी सोडियम कार्बोनेट पाउडर की शीशी को मंगवाया जाकर एक प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में कार्यालय से साफ पानी भरवाकर मंगवाया, इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे गवाहान एवं परिवादी को दिखाया गया तो उन्होनें घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्री जितेन्द्र सिंह चालक कानि की अंगुलियों व अंगुठे को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई गई एवं मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी, परिवादी से रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो नोटो पर लगा फिनोफ्थलीन पाउडर उसके हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा और जब उसके हाथों की अंगुलियों व अंगुठे को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो घोल का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्री जितेन्द्र सिंह चालक कानि से कार्यालय के बाहर नाली में फिकवाया गया तथा अखबार व प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास को जलाकर नष्ट किया गया। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री जितेन्द्र सिंह चालक कानि को सुरक्षित कार्यालय की अलमारी में रखने हेतु हिदायत दि गई तथा परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि वह आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उसके शरीर के किसी अंग को नहीं छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करे तथा रिश्वती राशि दे चुकने के बाद अपने सिर पर दो बार हाथ फैरकर या मन् पुलिस उप अधीक्षक या श्री पंकज कुमार कानि के मोबाईल नम्बर पर कॉल कर गोपनीय निर्धारित ईशारा करें। परिवादी, सहपरिवादी, श्री जितेन्द्र सिंह चालक कानि 657, श्री दिनेश कुमार सउनि व स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये एवं श्री जितेन्द्र सिंह चालक कानि को ब्यूरो इकाई बांसवाडा पर ही मुकिम रहने की हिदायत दी गई। श्री दिनेश कुमार सउनि से ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शिशियॉ, प्लास्टिक के डिस्पोजल, ढक्कन, चम्मच इत्यादि को साफ पानी व साबुन से दो बार धुलवाकर व सोडियम कार्बोनेट पाउडर को ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों में शामिल जाप्ते को निर्देश दिये कि कार्यवाही के दौरान मोबाईल फोन का इस्तेमाल सिर्फ आपसी संवाद के लिये करे अन्य उपयोग से बचे। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मूर्तिब कर संबधितों के हस्ताक्षर कराये गये। समय 03.00 पीएम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा समस्त ब्यूरो जाब्ता को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री निखिल यादव वरिष्ठ सहायक व श्री राजमल चरपोटा कनिष्ठ सहायक एवं परिवादी, सहपरिवादी से आपस में परिचय करवाया जाकर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये जाकर श्री पंकज कुमार कानि को ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड लगा हुआ मुनासिब हिदायत के सम्भलवाया गया। समय 03.10 पीएम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा आरोपी श्री अभिषेक व्यास पटवारी की मोबाईल लोकेशन ब्यूरो मुख्यालय से प्राप्त की गई तो आरोपी पटवारी की लोकेशन कस्बा घाटोल आई। जिस पर परिवादी श्री धीरजमल बामनिया व श्री पंकज कुमार कानि को मय डिजिटल टेप रिकॉर्डर मेमोरी कार्ड लगा हुआ कानि की निजी मोटरसाईकल से, सहपरिवादी श्री पंकज बामनिया को निजी मोटरसाईकल से कस्बा घाटोल के लिए रवाना करते हुए उनके पीछे-पीछे मन् पुलिस उप अधीक्षक दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री निखिल यादव वरिष्ठ सहायक, श्री राजमल चरपोट कनिष्ठ सहायक ब्यूरो जाब्ता श्री हरभजन सिंह कनिष्ठ सहायक, श्री बंसीलाल कानि एवं श्री दिनेश कुमार सउनि मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर इत्यादी आवश्यक संसाधनों के जरिये प्राईवेट वाहन टैक्सी से कस्बा घाटोल के लिए रवाना हुए। समय 03.55 पीएम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियान के उपरोक्त फिगरा का रवानाशुदा कस्बा घाटोल से कुछ

दुरी पहले सुनसान स्थल पर अपने-अपने वाहनो को रोड के साईड में खडा किया गया तथा पुनः आरोपी पटवारी की लोकेशन ब्यूरो मुख्यालय से प्राप्त की गई तो लोकेशन कस्बा घाटोल में ही होना आई जिस पर समय करीब 03.58 पीएम पर परिवादी श्री धीरजमल बामनिया के मोबाईल नं से आरोपी पटवारी के मोबाईल नं पर जरिये व्हाट्सअप कॉल मोबाईल को लाउडस्पीकर पर रखवाकर करवाया गया तो आरोपी द्वारा कॉल रिसीव नही किया गया। तत्पश्चात समय करीब 04.01 पीएम पर आरोपी पटवारी के मोबाईल नं से परिवादी के मोबाईल नं पर जरिये व्हाट्सअप कॉल आया परिवादी के मोबाईल को लाउडस्पीकर पर रखवाकर वार्ता करवाई गई तो आरोपी पटवारी द्वारा परिवादी को घाटोल आने हेतु कहा। उक्त दोनो मोबाईल कॉल को ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर मेमोरी कार्ड लगा हुआ में रिकॉर्ड किया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री धीरजमल बामनिया ने बताया कि पटवारी श्री अभिषेक व्यास तहसील कार्यालय में ही मिलेगे मै वही जाकर उनकी मांग अनुसार रिश्वत राशि 10,000/- रूपये उन्हे दे देता हु। जिस पर सहपरिवादी श्री पंकज बामनिया ने बताया की रिश्वत लेन-देन की वार्ता हेतु धीरजमल के साथ में जाउंगा तो वह रिश्वत राशि नही लेगा। मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा सहपरिवादी श्री पंकज बामनिया को अपनी निजी मोटरसाईकल से तहसील कार्यालय घाटोल के आस-पास पहुंच अपनी स्थिती छुपाते हुए धीरजमल व आरोपी पटवारी की गतीविधि को देखने की हिदायत कर रवाना किया गया। इसके बाद कानि श्री पंकज कुमार को तहसील कार्यालय घाटोल से कुछ दुरी पहले मोटरसाईकल से उतरकर परिवादी धीरजमल को अकेले ही तहसील कार्यालय घाटोल के परीसर में जाने के लिए समझाईश करते हुए निर्देश प्रदान किए। इसके बाद समय करीब 04.07 पीएम पर परिवादी श्री धीरजमल बामनिया को ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकॉर्डर मेमोरी कार्ड लगा हुआ चालु कर सूपुर्द कर परिवादी व पंकज कानि को निजी मोटरसाईकल से तहसील कार्यालय घाटोल के लिए रवाना करते हुए मन् पुलिस उप अधीक्षक व हमराहियान ट्रेप पार्टी सदस्यों के जरिये प्राईवेट वाहन से तहसील कार्यालय घाटोल के आस-पास पहुच परिवादी के निर्धारित ईशारे के इन्तजार में मुकिम हुए। समय 04.30 पीएम पर दर्ज रहे कि समय करीब 04.16 पीएम पर कानि श्री पंकज कुमार के मोबाईल पर परिवादी ने कॉल एवं तहसील कार्यालय घाटोल के परीसर में रहकर सिर पर दो बार हाथ फेरकर रिश्वत राशि ग्रहण बाबत् पूर्व निर्धारित ईशारा किया गया जिस पर कानि द्वारा मन् पुलिस उप अधीक्षक को कॉल कर अवगत करवाया गया। मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियान प्राईवेट वाहन के तहसील कार्यालय घाटोल के मुख्य गेट से तहसील परीसर में प्रवेश किया तो कानि पंकज द्वारा पुनः आरोपी द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण नही करने बाबत् अपने हाथ से सांकेतिक ईशारा किया गया जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा पुनः अपने प्राईवेट वाहन को तहसील परिसर की बाउंड्री के साईड में स्थित सरकारी विद्यालय की तरफ पहुच वाहन को रोड के साईड में खडा किया। इसी दौरान परिवादी श्री धीरजमल बामनिया घबराहट भरी स्थिती में अचानक तहसील कार्यालय घाटोल के मुख्य गेट से बाहर मन् पुलिस उप अधीक्षक के प्राईवेट वाहन के सामने आने लगा जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री धीरजमल बामनिया के मोबाईल पर स्थिती जानने हेतु कॉल किया तो परिवादी ने केंसल, केंसल कहते हुए रिश्वत राशि नही देना बताया। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी को हिदायत दी गई की कानि पंकज कुमार को ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकॉर्डर सुपूर्द कर तथा कानि के साथ उक्त स्थान से रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय बांसवाडा पहुचे एवं सहपरिवादी श्री पंकज बामनिया को भी ब्यूरो कार्यालय बांसवाडा उपस्थित आने हेतु अवगत करवाए। मन् पुलिस उप अधीक्षक भी मय हमराहियान जाब्ता के प्राईवेट वाहन से ब्यूरो कार्यालय बांसवाडा के लिए रवाना हुआ। समय 05.10 पीएम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियान, परिवादी, सहपरिवादी व श्री पंकज कानि अपने-अपने वाहनो से ब्यूरो इकाई बांसवाडा पहुंचा। परिवादी व सहपरिवादी को कार्यालय में सुरक्षित बैठाया गया। समय 05.20 पीएम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी, सहपरिवादी व श्री पंकज कुमार कानि को कार्यालय कक्ष में तलब किया गया। इसके बाद दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष कानि श्री पंकज कुमार द्वारा ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकॉर्डर मेमोरी कार्ड लगा हुआ मन् पुलिस उप अधीक्षक को सुपूर्द किया जिसे

सुरक्षित रखा गया। परिवादी श्री धीरजमल बामनिया के पास पडी हुई रिश्वत राशि गवाह श्री निखिल यादव से निकलवाई जाकर गवाह के पास सुरक्षित रखवाई गई। तत्पश्चात परिवादी से आरोपी को रिश्वत राशि नही देने के सम्बन्ध में पूछा तो परिवादी ने बताया कि “मै तहसील कार्यालय घाटोल कि तरफ जा रहा था उसी समय मैने तहसील के बाहर से पटवारी अभिषेक व्यास को कॉल किया परन्तु उन्होने कॉल रिसीव नही किया कुछ समय पश्चात पटवारी श्री अभिषेक व्यास ने मेरे मोबाईल पर व्हाट्सअप कॉल किया जिसे मैने मोबाईल को लाउडस्पीकर पर रखकर डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया था। उसके बाद मै पटवारी श्री अभिषेक व्यास के बताए अनुसार तहसील कार्यालय घाटोल के परीसर में बने एक कक्ष में गया जहा पटवारी श्री अभिषेक से जाकर मिलने के पश्चात मैने मेरे मोबाईल से पंकज बामनिया के मोबाईल नं पर कॉल कर “एम कउ के पिलने मई लई आवो स्टाफ ने स्टाफ ने, पिला भईसाहब ने मई लईने आवीजो”उसके बाद मैने श्री पंकज जी एसीबी कर्मचारी को कॉल कर अन्दर आने को कह पटवारी अभिषेक के अन्य कक्ष में जाना बताया उसके पश्चात अभिषेक पटवारी मेरे पास आया और “ हां धीरज जी बोल के हम दोनो तहसील कार्यालय के कक्ष से बाहर आए और मैने तहसील कार्यालय परिसर में ही रूककर अपने सिर पर हाथ फेरकर रिश्वत राशि ग्रहण का ईशारा कर दिया था। मैने अपने सिर पर हाथ गलती से घुमा दिया था उसके बाद आपकी टीम के चहल पहल व मैरे ईशारे को देख कर पटवारी अभिषेक ने मुझसे रिश्वत राशि नही लेकर तहसील के पिछले गेट की तरफ चला गया था। उसके बाद सहपरिवादी श्री पंकज बामनिया ने बताया की “ मै आपके बताए अनुसार तहसील कार्यालय घाटोल के मुख्य बाउंड्री से बाहर मुख्य गेट के सामने खडा रहकर धीरजमल व पटवारी की गतिविधी को देख रहा था कुछ देर बाद धीरजमल मोटरसाईकल को तहसील परिसर के बाहर ही छोडकर पैदल ही तहसील कार्यालय घाटोल के परिसर में जाकर एक कक्ष में गया था उसके बाद वो और पटवारी अभिषेक तहसील कार्यालय कक्ष के बाहर परिसर में आए वही धीरजमल ने अपने सिर पर हाथ फेरकर रिश्वत राशि ग्रहण का पूर्व निर्धारित ईशारा किया था। तब ही आपके एसीबी कर्मचारी व आपका प्राईवेट वाहन तहसील कार्यालय परिसर में प्रवेश हुआ था उसके बाद आपका वाहन पुनः तहसील परिसर से बाहर आया था और पटवारी अभिषेक तहसील के पीछले गेट की तरफ भाग गया। करीब 04.20 पीएम पर पटवारी अभिषेक ने मेरे मोबाईल पर व्हाट्सअप कॉल कर धीरजमल द्वारा क्या कार्यवाही करवाए जाने बाबत् पूछा गया था। जिस पर मैने अनभिज्ञता व्यक्त की थी।”परिवादी व सहपरिवादी के कथनों की ताईद कानि श्री पंकज कुमार द्वारा करते हुए बताया कि“ मै व परिवादी मोटरसाईकल से तहसील कार्यालय के बाहर पहुचे मै तहसील कार्यालय से कुछ दुरी पहले वाहन से उतरकर अपनी उपस्थिती छुपाते हुए परिवादी के ईशारे के इन्तजार में मुकिम रहा था समय करीब 04.16 पीएम पर परिवादी धीरजमल ने मेरे मोबाईल पर कॉल कर तहसील कार्यालय के अन्दर आने व पटवारी के अन्य कक्ष में जाने का कहा गया था परिवादी द्वारा मोबाईल पर कॉल करना संदिग्ध आरोपी द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण का पूर्व निर्धारित ईशारा करने के पश्चात परिवादी व पटवारी अभिषेक तहसील कार्यालय के कक्ष के बाहर आए और परिवादी ने पुनः अपने सिर पर भी हाथ फेरकर आरोपी द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण बाबत् पूर्व निर्धारित ईशारा किया गया था। जिस पर मन् कानि द्वारा आपको अवगत करवाया था। परन्तु मै निर्धारित ईशारे उपरांत परिवादी के नजदीक पहुचा तो परिवादी ने आरोपी द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण नही करने का कहा गया तब ही आरोपी पटवारी को भनक लगने से वह तहसील कार्यालय घाटोल के पिछले गेट की तरफ से भाग गया। आपका वाहन भी तहसील कार्यालय में प्रवेश हुआ तो मैने आपको भी अपने हाथ से आरोपी द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण नही करने का सांकेतिक ईशारा किया था। उसके पश्चात आपके निर्देशानुसार मैने परिवादी से डिजिटल टेप रिकॉर्डर मेमोरी कार्ड लगा हुआ परिवादी से प्राप्त कर अपने पास सुरक्षित रखा परिवादी को अपने साथ निजी वाहन से लेकर ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आया हु। तत्पश्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकॉर्डर मेमोरी कार्ड लगा हुआ चालु कर सुना गया तो परिवादी, सहपरिवादी व कानि श्री पंकज कुमार द्वारा बताए गए तथ्यो की ताईद हुई।

परिवादी व सहपरिवादी के बताए उपरोक्त हालातो से परिवादी द्वारा रिश्वत राशि देने से पूर्व ही रिश्वत राशि ग्रहण करने का निर्धारित ईशारा किये जाने एवं परिवादी के ईशारे के बाद एसीबी टीम की गतिविधि से आरोपी अभिषेक व्यास को कार्यवाही की भनक लग जाने से वह तहसील कार्यालय के पीछले गेट से भाग गया अब आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि ग्रहण करने की संभावना नही है। उक्त कार्यवाही के हालात उच्चाधिकारीयों को अवगत करवाए जाकर शेष अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। समय 07.30 पीएम पर ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर मेमोरी कार्ड लगा हुआ को दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी, सहपरिवादी के समक्ष ब्यूरो के सरकारी कम्प्युटर से कनेक्ट करवाकर मूल मेमारी कार्ड में रिकॉर्डशुदा दिनांक 04.08.2026 को समय करीब 11.56 एएम पर परिवादी धीरजमल बामनिया व आरोपी अभिषेक व्यास पटवारी के मध्य आमने-सामने पटवार मण्डल सेनावासा के बाहरी परिसर में हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को चलाकर सुना जाकर उक्त वार्ता की मन् पुलिस उप अधीक्षक के निर्देषन में श्री बंसीलाल कानि0 नम्बर 63 द्वारा फर्द ट्रांसक्रिप्ट मूर्तिब की गई तथा मुर्तिबषुदा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उपरोक्त फर्द ट्रान्सक्रिप्ट में परिवादी श्री धीरजमल बामनिया ने एक आवाज अपनी स्वयं की तथा दूसरी आवाज आरोपी श्री अभिषेक व्यास पटवारी कि होने की पुष्टि की। इसके पश्चात सहपरिवादी श्री पंकज बामनिया ने बताया मै भी मेरे कार्य हेतु कई बार पटवारी अभिषेक व्यास से मिला हु मै भी इनकी आवाज भली-भांती पहचानाता हु। उक्त वार्ता में श्री धीरजमल व श्री अभिषेक व्यास पटवारी की ही आवाज है। डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता दिनांक 04.08.2026 समय 12.33 पीएम पर कोई वार्ता रिकॉर्ड नही हुई है। समय 09.00 पीएम पर ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर मेमोरी कार्ड लगा हुआ को दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी, सहपरिवादी के समक्ष ही ब्यूरो के सरकारी कम्प्युटर से कनेक्ट करवाकर मूल मेमारी कार्ड में रिकॉर्डशुदा दिनांक 04.08.2026 को समय करीब 04.01 पीएम पर परिवादी धीरजमल बामनिया व आरोपी श्री अभिषेक व्यास पटवारी के मध्य हुई मोबाईल वार्ता, समय करीब 04.07 पीएम पर परिवादी धीरजमल बामनिया व आरोपी पटवारी अभिषेक व्यास के मध्य आमने-सामने तहसील परिसर घाटोल के कक्ष व बाहरी परिसर में हुई रिश्वत लेन-देन वार्ता को चलाकर सुना जाकर उक्त वार्ताओ की मन् पुलिस उप अधीक्षक के निर्देषन में श्री बंसीलाल कानि0 नम्बर 63 द्वारा फर्द ट्रांसक्रिप्ट मूर्तिब की गई तथा मुर्तिबषुदा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उपरोक्त फर्द ट्रान्सक्रिप्ट में परिवादी श्री धीरजमल बामनिया ने एक आवाज अपनी स्वयं की तथा दूसरी आवाज आरोपी श्री अभिषेक व्यास पटवारी कि होने की पुष्टि की। इसके पश्चात सहपरिवादी श्री पंकज बामनिया ने बताया कि उक्त वार्ता में श्री धीरजमल व श्री अभिषेक व्यास पटवारी की ही आवाज है। डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता दिनांक 04.08.2026 समय 03.58 पीएम केवल रिंग बजने की आवाज व 04.30 पीएम पर कोई वार्ता रिकॉर्ड नही हुई है। समय 11.00 पीएम पर दिनांक 04.08.2026 को समय करीब 11.56 एएम पर परिवादी धीरजमल बामनिया व आरोपी अभिषेक व्यास पटवारी के मध्य आमने-सामने पटवार मण्डल सेनावासा के बाहरी परिसर में हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, समय 12.33 पीएम पर कोई वार्ता रिकॉर्ड नही, दिनांक 04.08.2026 को समय करीब 04.01 पीएम पर परिवादी धीरजमल बामनिया व आरोपी श्री अभिषेक व्यास पटवारी के मध्य हुई मोबाईल वार्ता, समय करीब 04.07 पीएम पर परिवादी धीरजमल बामनिया व आरोपी पटवारी अभिषेक व्यास के मध्य आमने-सामने तहसील परिसर घाटोल के कक्ष व बाहरी परिसर में हुई रिश्वत लेन-देन वार्ता, समय 03.58 पीएम केवल रिंग बजने की आवाज व 04.30 पीएम कोई वार्ता रिकॉर्ड नही हुई है। उपरोक्त वार्ताओ को नियमानुसार परिवादी द्वारा ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड मे रिकॉर्ड किया गया उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को ब्यूरो के कम्प्युटर से श्री बंसीलाल कान्सटेबल नम्बर 63 से कनेक्ट करा वार्तालाप की तीन पेनड्राईव तैयार की गयी। एक पर मूल पेन ड्राईव, एक आरोपी तथा एक पर डब पेनड्राईव लिखा जाकर मूल व आरोपी पेन ड्राईव ईवीएम यूएसबी 2.0 बरंग सील्वर 4 जीबी जिसकी हेश वेल्यू नियमानुसार निकलवाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर मूल पेनड्राईव को कवर में रखकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर

करवाकर कवर को एक सफेद कपड़े की थैली में रखकर नियमानुसार श्री दिनेश कुमार सउनि से सिलचिट बंद करवा सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा पृथक से जरिये फर्द जब्त कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा कर कब्जे ब्यूरो लिया गया तथा आरोपी एवं डब पेन ड्राईव ईवीएम यूएसबी 2.0 बरंग सील्वर 4 जीबी को अलग कवर में रखकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर सुरक्षित रखा गया। 11.40 पीएम पर दिनांक 04.08.2026 को समय करीब 11.56 एएम पर परिवादी धीरजमल बामनिया व आरोपी अभिषेक व्यास पटवारी के मध्य आमने-सामने पटवार मण्डल सेनावासा के बाहरी परिसर में हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, समय 12.33 पीएम पर कोई वार्ता रिकॉर्ड नही, दिनांक 04.08.2026 को समय करीब 04.01 पीएम पर परिवादी धीरजमल बामनिया व आरोपी श्री अभिषेक व्यास पटवारी के मध्य हुई मोबाईल वार्ता, समय करीब 04.07 पीएम पर परिवादी धीरजमल बामनिया व आरोपी पटवारी अभिषेक व्यास के मध्य आमने-सामने तहसील परिसर घाटोल के कक्ष व बाहरी परिसर में हुई रिश्वत लेन-देन वार्ता, समय 03.58 पीएम केवल रिंग बजने की आवाज व 04.30 पीएम कोई वार्ता रिकॉर्ड नही हुई है। जिसे परिवादी द्वारा ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया था। उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड सरकारी कम्प्युटर से कनेक्ट करवा मूल मेमोरी कार्ड की हेश वेल्यू नियमानुसार श्री बंसीलाल कानि नं 63 से निकलवाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर उक्त मेमोरी कार्ड को डिजिटल टेप रिकॉर्डर में से मूल ही निकलवाया गया तो मेमोरी कार्ड बरंग काला ईवीएम माइक्रो एसडी एचसी 8 जीबी लिखा हुआ है, को जरिये फर्द वजह सबूत नियमानुसार मार्क ड अंकित कर जब्त किया गया। समय 12.10 एएम पर जब्तशुदा मालखाना आईटम को सुरक्षित कार्यालय के मालखाना में रखने हेतु श्री दिनेश कुमार सहायक उप निरीक्षक को निर्देशित किया गया। इसके पश्चात गवाह श्री निखिल यादव के पास रखी गई रिश्वती राशि 10 हजार रूपये को परिवादी श्री धीरजमल बामनिया को सम्भलवाई गई। उसके पश्चात परिवादी श्री धीरजमल बामनिया द्वारा कार्यवाही नही होने एवं कार्यवाही के उपरोक्त हालातो का उल्लेख कर हस्तलिखित एक प्रार्थना स्वयं के हस्ताक्षर कर मन् पुलिस उप अधीक्षक को प्रस्तुत की गई, उक्त प्रार्थना पर ही परिवादी द्वारा राशि 10 हजार रूपये प्राप्त होने की रसीद दी गई। जिसे बाद अवलोकन कर दोनो स्वतंत्र गवाहान व सहपरिवादी श्री पंकज बामनिया के समक्ष पढकर सुनाया जाकर उनके हस्ताक्षर करवा शामिल पत्रावली किया गया। समय 12.40 एएम पर परिवादी धीरजमल बामनिया, सहपरिवादी श्री पंकज बामनिया व दोनो स्वतंत्र गवाहान को रूखसत किया गया। समय 01.00 एएम पर दर्ज रहे की ट्रेप कार्यवाही की लिखापढी पूर्ण कर दी गई है। उपरोक्त कार्यवाही के हालात अनुरूप आरोपी श्री अभिषेक व्यास पटवारी पटवार हल्का सेनावासा तहसील घाटोल जिला बांसवाडा द्वारा परिवादी का नाम शुद्विकरण करने व मोटेशन करने की एवज में रिश्वत राशि 15,000/- रूपये की मांग कर परिवादी से 10,000/- रूपये रिश्वत राशि लेने की सहमति व्यक्त की है। रिश्वत मांग की पुष्टि होने के उपरांत आरोपी के विरूद्व दिनांक 04.08.2026 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया परिवादी द्वारा आरोपी को रिश्वत राशि देने से पूर्व ही रिश्वत राशि ग्रहण करने का निर्धारित ईशारा किये जाने एवं परिवादी के ईशारे के बाद एसीबी टीम की गतिविधि से आरोपी अभिषेक व्यास को कार्यवाही की भनक लग जाने से वह तहसील कार्यालय के पीछले गेट से भाग गया अब आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि ग्रहण करने की संभावना नही है। उपरोक्त सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही की रिपोर्ट ब्यूरो मुख्यालय प्रेषित की जावेगी। इस प्रकार अब तक की कार्यवाही से यह पाया गया है कि आरोपी श्री अभिषेक व्यास पटवारी पटवार हल्का सेनावासा तहसील घाटोल जिला बांसवाडा द्वारा एक लोकसेवक होते हुये अपने वैद्य परिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने में भ्रष्ट एवं अवैध तरीके से परिवादी श्री धीरजमल बामनिया के खाता में नाम शुद्विकरण व मोटेशन करने की एवज में श्री अभिषेक व्यास पटवारी पटवारी हल्का सेनावासा द्वारा दिनांक 04.08.2026 को समय 11.56 एएम पर पटवार हल्का सेनावासा में कुल 10,000/- रूपये रिश्वत राशि लेने की सहमति व्यक्त की गई। ट्रेप कार्यवाही के दौरान आरोपी को कार्यवाही की भनक लग जाने से मौके से फरार हो गया परिवादी से रिश्वत राशि ग्रहण नही की गई। उपरोक्त वार्ता से पटवारी अभिषेक व्यास

द्वारा रिश्वत राशि मांग करना पाये जाने से पटवारी अभिषेक व्यास के विरूद्व जूर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत प्रथम दृष्टया प्रमाणित है। अतः आरोपी श्री अभिषेक व्यास पुत्र श्री महेशचन्द्र व्यास उम्र 37 वर्ष जाति ब्राम्हण निवासी त्रिपोलिया रोड घंटाघर मंछादेवी मंदिर के पास बांसवाडा तत्कालीन पटवारी पटवार हल्का सेनावासा तहसील घाटोल जिला बांसवाडा के विरूद्व जूर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनयिम 1988 (यथा संशोधित 2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान् महानिदेशक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवामें प्रेषित हैं। भवदीय, (रतनसिंह राजपुरोहित) पुलिस उप अधीक्षक, भ्रनिब्यूरो, बांसवाडा..... कार्यवाही पुलिस.........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री रतनसिंह राजपुरोहित, पुलिस उप अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्युरो, बांसवाडा ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री अभिषेक व्यास पुत्र श्री महेशचन्द्र व्यास उम्र 37 वर्ष जाति ब्राम्हण निवासी त्रिपोलिया रोड घंटाघर मंछादेवी मंदिर के पास बांसवाडा तत्कालीन पटवारी पटवार हल्का सेनावासा तहसील घाटोल जिला बांसवाडा के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह जैन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, डूंगरपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 142 पर अंकित है। (गोरधन लाल सौंकरिया) पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1478-81 दिनांक 10.09.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर 2- जिला कलक्टर, बांसवाडा 3- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज उदयपुर 4- अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बांसवाडा । पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Rajendra Singh Jain **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gordhan Lal Sonkaria
Location: Rajasthan,IN
Date: 10/09/2026 18:18:35

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GORDHAN LAL SONKARIA

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1989				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)